



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072022-237476
CG-DL-E-23072022-237476

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3123]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944

No. 3123]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

का. आ. 3284(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2949 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (iii) खण्ड 3 उपखण्ड में 27.07.2021 को प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के सूरत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया 53) के गुजरात/महाराष्ट्र सीमा से सूरत हजीरा पोर्ट तक के भूखण्ड का निर्माण (टु लेन/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 04.12.2021 को टाइम्स ओफ इन्डिया और गुजरात समाचार दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और कई आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों का अननुज्ञात कर दिया है:

और सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए।

और अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमो से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के सूरत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया 53) के गुजरात/महाराष्ट्र सीमा से सूरत हजीरा पोर्ट तक भू अर्जन के लिए अर्जित की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: सूरत			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बारडोली				
	गांव का नाम: बारडोली				
1	473 / 1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.085	नगीनभाई नारणजी, मोहनभाई नारणजी, चन्द्रकांत नारणजी (473/1)
2	473 / 2 Paiki 1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1919	आशीष ईश्वरलाल देसाई, यूसूफ महमुद हाफेजी, सुलेमान महमुद हाफेजी, फातमा महमुद हाफेजी, इब्राहीम महमुद हाफेजी, अहमद महमुद हाफेजी, युसुफ महमुद हाफेजी फरजाना महमुद हाफेजी (473/2/पी/1)
	गांव का नाम: मानेकपोर				
3	461	निजी	एग्रीकल्चर	0.1945	मुलजीभाई जीवनभाई, छगनभाई परसोत्तमभाई, गीरीशभाई मुलजीभाई, महेशभाई रमनभाई, योगेशभाई रमनभाई, धमेशभाई छगनभाई, (461)
	गांव का नाम: नांडिडा				
4	283	निजी	एग्रीकल्चर	0.5639	जयेशकुमार रमेशचन्द्र मोदी,

					जीतेशकुमार रमेशचन्द्र मोदी, नीमेशकुमार रमेशचन्द्र मोदी (283)
	तालुक का नाम: पलसाना				
	गांव का नाम: कनाव				
1	273	निजी	एग्रीकल्चर	0.0513	बल्लूभाई भीमभाई, पार्वतीबेन भीमाभाई परभू नी छठकरी, जसूबेन भीमाभाई परभू नी छठकरी, भानुबेन अरविन्दभाई, नवनीतभाई अरविन्दभाई जयनाबेन अरविन्दभाई, मलाबेन वल्लभभाई, भावनाबेन वल्लभभाई, सुनिलभाई वल्लभभाई, मानुबेन खन्दूभाई पटेल, नीलमबेन खन्दूभाई पटेल, बीनाबेन खन्दूभाई पटेल, गोरवकुमार खन्दूभाई पटेल, नीताबेन जीगरकुमार पटेल, माइनर ध्वनीलकुमार, जीगरकुमार पटेल माइनर यशकुमार जीगरकुमार पटेल (273)
			कुल	1.0866	

[फा. सं. NHAI/BOT/DBFO/II/11012/58/19/2006/3A/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2022

S. O. 3284(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 2949(E) Dated 27 July 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/4/6laning, etc.), Maintenance, Management and Operation of NH No.6 (New NH-53) Gujarat / Maharastra Border Surat - Hazira Port Section in the District Surat in the State of Gujarat,

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times of India” and “Gujarat Samachar” both dated 04 December 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the additional land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from chainage Km. 54+000 to Km. 131.5000 of the National Highway No. 6 (Surat- Hazira Port Section) in the State of Gujarat.

State: GUJARAT District: SURAT					
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bardoli				
	Village: Bardoli				
1	473 / 1	Private	Non Agriculture	0.085	Naginbhai Naranji, Mohanbhai Naranji, Chandrakant Naranji 473/1
2	473 / 2 Paiki 1	Private	Agriculture	0.1919	Ashish Ishverlal Desai, Yusuf Mahamud Hafeji, Suleman Mahamud Hafeji, Fatma Mahamud Hafeji, Ibrahim Mahamud Hafeji, Ahamad Mahamud Hafeji, Yusuf Mahamud Hafeji, Farzana Mahamud hafeji 473/2/P/1
	Village: Manekpor				
3	461	Private	Agriculture	0.1945	Muljibhai Jivanbhai, Chhaganbhai Parshottambhai Girishbhai Muljibhai, Maheshbhai Ramanbhai, Yogeshbhai Ramanbhai , Dharmeshbhai Chhaganbhai 461
	Village: Nadida				
4	283	Private	Agriculture	0.5639	Jayeshkumar Rameshchandra Modi, Jiteshkumar Rameshchandra Modi, Nimeshkumar Rameshchandra Modi 283
	Taluk: Palsana				
	Village: Kanav				
1	273	Private	Agriculture	0.0513	Ballubhai Bhimbhai, Parvatiben Bhimbhai Parbhuni Daughter, Jasuben Bhimbhai Parbhuhai Daughter, Bhanuben Arvindbhai, Navnitbhai Arvindbhai, Jayanaben Arvindbhai, Kamlaben Vallabhbhai, Bhavnaben Vallabhbhai, Sunilbhai Vallabhbhai, Manuben Khandubhai Patel, Nilamben Khandubhai Patel, Binaben Khandubhai Patel, Gouravkumar Khandubhai Patel, Nitaben Jigerkumar Patel, Minor

					Dhwanilkumar Jigarkumar Patel, Minor Yashkumar Jigarkumar Patel 273
			TOTAL	1.0866	

[F. No. NHAI/BOT/DBFO/II/11012/58/19/2006/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Director